भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5282
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

शहरों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली

5282. श्री राजेश वर्मा:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्रीमती शांभवी:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने में सक्षम शहरों की आज की तिथि तक की शहरवार संख्या कितनी है साथ ही उनकी क्षमता का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) 50 प्रतिशत से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने वाले शहरों का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) देश में उपयोग में लाई जा रही विभिन्न प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा का ब्यौरा क्या है साथ ही जनवरी, 2024 और 2025 के दौरान उपयोग में लाई जा रही ऐसी ऊर्जा के प्रतिशत सहित तुलनात्मक तालिका क्या है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा पंचामृत लक्ष्यों के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों तथा अपने व्यापक दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) अधिकांश शहरों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, मुख्य रूप से सौर पीवी प्रणालियां स्थापित हैं। तथापि, राज्यों द्वारा स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के नगर-वार विवरण की सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

(ख) किसी भी राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की क्षमता के साथ शहरों का विवरण नहीं दिया है, जो शहर की 50% से अधिक ऊर्जा खपत को पूरा कर सकती हैं।

(ग) जनवरी 2024 और 2025 के दौरान इस देश में उपयोग में लाई जा रही विभिन्न प्रकार की के प्रतिशत के साथ तुलनात्मक तालिका दर्शाने वाला ब्यौरा अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(घ) सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा और गति देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं ताकि वह पंचामृत लक्ष्यों के तहत अपनी स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल कर सके और अपने व्यापक दृष्टिकोण को पूरा कर सके। इन कदमों का विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-**I**

'शहरों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली' के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5282 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**I**

जनवरी 2024 और जनवरी 2025 के दौरान देश में उपयोग में लाई गई विभिन्न प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा का विवरण:

क्षेत्र	दिनांक 31.01.2024 की स्थिति के अनुसार स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता			दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता		
	स्थापित क्षमता गीगावाट में	कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता का प्रतिशत में हिस्सा (182.04 गीगावाट)	कुल बिजली स्थापित क्षमता का प्रतिशत में हिस्सा (429.96 गीगावाट)	स्थापित क्षमता गीगावाट में	कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता का प्रतिशत में हिस्सा (212.18 गीगावाट)	कुल बिजली स्थापित क्षमता का प्रतिशत में हिस्सा (466.26 गीगावाट)
सौर विद्युत	74.31	40.82	17.28	100.33	47.28	21.52
हवा विद्युत	44.97	24.70	10.46	48.37	22.80	10.37
जीव विद्युत	10.85	5.96	2.52	11.41	5.38	2.45
जल विद्युत	51.91	28.52	12.07	52.07	24.54	11.17
कुल अक्षय ऊर्जा	182.04	100	42.33	212.18	100	45.51

अनुलग्नक-**II**

'शहरों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली' के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5282 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

सरकार द्वारा पंचामृत लक्ष्यों के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और इसकी विस्तृत दूरदर्शिता को प्राप्त करने के लिए देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और गति प्रदान करने हेतु किए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट प्रति वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों को जारी करने के लिए बोली ट्रैजेक्ट्री जारी की है।

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।

- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ाने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रैजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।

- निवेशों को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना की गई है।

- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसी योजनाए शुरु की गई हैं।

- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।

- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।

- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।

- "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की ट्रैजेक्ट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यापार मॉडल दर्शाए गए है।

- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।

- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।

- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।

- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किया गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनजी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।

- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।

- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

*****